छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमाँक / 4701 / गोपनीय / 2019 रायपुर, दिनाँक 29-11-19

प्रति,

प्राचार्य
समस्त मान्यता प्राप्त संस्थायें,
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छत्तीसगढ़।

विषय :— **वर्ष 2020 की हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी / हायर सेकण्डरी व्यावसायिक पाठ्यकम परीक्षा के नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य परीक्षा की व्यवस्था एवं अंक प्रेषण संबंधी निर्देश।**

——00——

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित की जाने वाली वर्ष 2020 की हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी / हायर सेकण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षाओं में नियमित रूप से सम्मिलित होनें वाले छात्रों की **प्रायोगिक परीक्षाऐं एवं प्रायोजना कार्य 10 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 के मध्य संबंधित शाला में संपन्न करायी जायेगी। इसके साथ ही हायर सेकण्डरी परीक्षा श्रेणी सुधार के रुप में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की पर्यावरण की प्रायोगिक परीक्षा भी सम्पन्न करायें। कृपया प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि से विषय संबंधित शिक्षकों और छात्र / छात्राओं को भी अवगत करायें, किसी भी प्रकार से प्रायोगिक परीक्षा / प्रायोजना कार्य में अनुपस्थित परीक्षार्थियों को किसी भी दशा में विशेष अनुमति नहीं दी जावेगी, और न ही दोबारा प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराई जायेगी। ऐसी स्थिति में छात्रों को अनुपस्थित ही दर्शाया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्राचार्य / छात्र की होगी।**

1. संस्था में अध्यापन करा रहे शिक्षकों को संबंधित विषय में आंतरिक परीक्षक संस्था के प्राचार्य द्वारा नियुक्त किया जावे।
2. प्रायोगिक परीक्षा हेतु छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा बाह्य परीक्षक नियुक्त किये जायेंगे। इनकी नियुक्ति के पश्चात संबंधित बाह्य परीक्षक से संपर्क स्थापित कर प्रायोगिक परीक्षा की तिथि सुनिश्चित करें, **यदि किसी कारणवश बाह्य परीक्षक प्रायोगिक परीक्षा लेने में असमर्थता व्यक्त करता है तो उससे कारण सहित लिखित में अभ्यावेदन प्राप्त करें और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए तत्काल जिले के समन्वय संस्था से सम्पर्क कर निराकरण करायें। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के स्थिति में मण्डल मुख्यालय / संभागीय कार्यालय से सम्पर्क कर निराकरण करावे।**
3. आपका यह दायित्व होगा कि निर्धारित समयावधि में अधिकृत बाह्य परीक्षक से ही प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करायें। **आप स्वेच्छापूर्वक बाह्य परीक्षक नियुक्त कर प्रायोगिक परीक्षा संपन्न न करायें। यदि ऐसा किया जाता है, तो ऐसी परीक्षा किसी भी स्थिति में मान्य नहीं की जावेगी और छात्रो के अहित की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।**
4. प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य के अंकों की ऑनलाईन प्रविष्टि करे तथा इसकी दो मुद्रित प्रतियॉ निकालकर संबंधित विषयो के वाह्य परीक्षकों से मिलान कराकर हस्ताक्षरित कराये तत्पश्चात पोर्टल लॉक करे। इन दो प्रतियों में एक प्रति लिफाफे में सील कर संस्था में छः माह तक सुरक्षित रखे तथा दूसरी प्रति ई0 (पी0) लिफाफे में सील बंद कर जिले के समन्वय संस्था में व्यक्तिगत रुप से जमा कराये। समन्वय संस्था गत वर्षानुसार निर्धारित है। प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न होने के उपरांत हाईस्कूल परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं को सफेद कपड़े में एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा के उत्तरपुस्तिकाओ को पीले कपड़े की थैली में पैक कर बण्डल बनाये तथा मण्डल कार्यालय के निर्देशानुसार उत्तरपुस्तिकाओं को सील करे तत्पश्चात बाएं कोने में परीक्षा का नाम, विषय का नाम, प्रायोगिक परीक्षा 2020 अंकित कर तुरंत जिले के समन्वय संस्था में जमा करें।
5. प्रायोजना कार्य हेतु छ0ग0मा0शि0मण्डल द्वारा बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं किये जायेंगे।
6. प्रायोजना कार्य का आंतरिक मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाना है।
7. प्रायोजना कार्य के अंकों की निर्धारित तिथि / अवधि में ऑनलाइन प्रविष्टि किया जावें।
8. प्रायोगिक परीक्षा के अंक 11 फरवरी 2020 तक अनिवार्यतः समन्वय संस्था को मण्डल के निर्देशानुसार भेजे जावें तथा यह सुनिश्चित भी कर लेवे कि शाला में संपन्न हुई समस्त प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक अनिवार्यतः **दिनांक 11 फरवरी 2020** तक संबंधित समन्वय संस्था को भेज दिए गये है। **दिनांक 11 फरवरी 2020 के बाद समन्वय संस्था में अंक प्राप्त होते है, तो संबंधित शाला से प्रति दिन रूपये 200.00 की दर से विलंब शुल्क लिया जाएगा। समय–सीमा पश्चात् विलम्ब से प्राप्त अंको को अमान्य करने पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थियों के अहित की जिम्मेदारी आपकी होगी।**

E:\Prayogik Letter Ram.Cgbse2018.Docx61

9. अंको को भेजते समय इस आशय का घोषणा पत्र भी समन्वय संस्था को देवे, कि शाला के सभी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएँ मण्डल द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों द्वारा ली गयी है और कोई भी विषय की प्रायोगिक/प्रायोजना परीक्षा कार्य होना शेष नहीं हैं तथा प्रायोगिक परीक्षा की लिखी उत्तरपुस्तिकाए जिले के समन्वय संस्था में जमा की जा चुकी है।

विशेष :–

कृपया अंकित करें कि प्रायोगिक परीक्षा हेतु आपकी संस्था पर आबंटित प्रति परीक्षार्थी हाईस्कूल के लिये रुपये 03/– एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा हेतु रूपयें 04/– की दर से (बाह्य एवं आंतरिक परीक्षक हेतु अलग–अलग) अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है। **जिसके व्यय का हिसाब मय प्रमाणित व्हाउचर पृथक से वित्ताधिकारी छ.ग. मा.शि.मं., रायपुर की ओर रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा।**

प्रायोगिक परीक्षायें सामान्यतः दो पाली में प्रथम पाली 8.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा द्वितीय पाली समय 2. 00 बजे से 5.00 बजे के मध्य संचालित की जाये। **प्रायः देखा गया है कि प्रायोगिक परीक्षा के अंक उत्तरपुस्तिका के बण्डल में भेज देते हैं जिससे परीक्षार्थी का परीक्षाफल RWL की श्रेणी में रुक जाता है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखे कि प्रायोगिक परीक्षा के अंक पृथक से निर्धारित लिफाफें में भेजा जाये।**

टीप :–

(1) गत वर्ष प्रायोगिक परीक्षा के अंको में संशोधन/सुधार हेतु कई संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुये थे। इस वर्ष ऑनलाईन पोर्टल में अंकों की प्रविष्टी करने के उपरांत अंकों की पुनः जॉच करे, अंको का मिलान 2–3 बार करें तत्पश्चात पोर्टल लॉक करें। परीक्षाफल घोषणा के बाद अंको में संशोधन/सुधार नहीं किया जावेगा।

(2) लेखक/प्रवाचक (Reader)/प्रयोगशाला सहायक की सुविधा ऐसे छात्र जो 40% या उससे अधिक निःशक्त हो, को उसकी मांग के आधार पर उपलब्ध करावें।

(3) कक्षा 12वीं में पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापन कार्य एवं दो प्रोजेक्ट कराया जावे तथा विद्यालय स्तर पर 50 अंकों की मण्डल द्वारा निर्धारित योजना अनुसार परीक्षा आयोजित कर छात्रों के प्राप्त अंक दिनांक 31/12/2019 के पूर्व मण्डल के पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि की जाये।

29.11.19
(प्रोफेसर व्ही0के0 गोयल)
सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

पृ. क्रमांक/4702/गोपनीय/2019 रायपुर, दिनांक 29/11/2019

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय/सचिव छ.ग. मा.शि.मं. रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, रायपुर छ0ग0,
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर,
4. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी छ.ग. मा.शि.मं. रायपुर,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
6. समस्त सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग छ0ग0,
7. लेखा अधिकारी, छ.ग. मा.शि.मं. रायपुर की ओर भेज कर लिखा जाता है कि समस्त संस्थाओं को प्रायोगिक परीक्षा के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायें।
8. सहायक सचिव, डाटा, गोपनीय, परीक्षा तथा संभागीय अधिकारी छ.ग. मा.शि.मं. राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, अम्बिकापुर,की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. प्राचार्य, समस्त जिला समन्वय संस्था शासकीय बहु0 उ0मा0वि0 शालायें छ0ग0 की ओर भेजकर लिखा जाता है, कि आपके जिला के प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य के अंको के लिफाफे सूचीबद्ध कर रखे। प्रायोगिक परीक्षा की मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाए समन्वय संस्था में जमा किया जाना है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त लिफाफे कतई स्वीकार नहीं किये जायेंगें। जिन संस्थाओं की ओर से प्रायोगिक अंक के लिफाफे अप्राप्त है उनकी सूची तैयार कर रखें। मण्डल के अधिकारी/कर्मचारी को ई0 पी0 लिफाफा सौपने हेतु तिथि की सूचना पृथक से दी जावेगी।

29.11.19
सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

E:\Prayogik Letter Ram.Cgbse2018.Docx62